क्रमांक-- 4214 / 011 / 2026
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल--462003
दूरभाष 2552646,2552878 फैक्स 2552406,
Email ID- budget.encwrd.bpl@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 06/07/2026

प्रति,

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता/
परियोजना संचालक
जल संसाधन विभाग,
मध्यप्रदेश ।

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री/
अतिरिक्त परियोजना संचालक
जल संसाधन मण्डल,
मध्यप्रदेश ।

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री/
परियोजना प्रबंधक
जल संसाधन संभाग,
मध्यप्रदेश ।

(विभागीय पोर्टल के माध्यम से)

विषय :— राज्य शासन अंतर्गत विभिन्न विभागों में आवंटित EV (Electric Vehicle) हेतु चार्जिंग सीमा का निर्धारण ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत म0प्र0 शासन परिवहन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक TRP/15/0008/2025-Sec-1-08(TRP) 1385, दिनांक 01.06.2026 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है, कृपया अवलोकन करें । पत्र में दिये गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है ।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार

06/07/26

कार्यपालन यंत्री (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग भोपाल.

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग,
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. TRP/15/0008/2025-Sec-1-08(TRP)/1385 भोपाल, दिनांक 01.06.2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- राज्य शासन अंतर्गत विभिन्न विभागों में आवंटित EV (Electric Vehicle) हेतु चार्जिंग सीमा का निर्धारण ।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-2 / 2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 02 मई, 2025 के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में शासकीय वाहनों के क्रय एवं किराये पर नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी दिशा-निर्देशों में पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. के साथ-साथ हाईब्रिड इलैक्ट्रिक वाहन की अनुमति के संबंध में भी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

2/ राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों को आवंटित वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 13.01.2000 के द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की मासिक सीमा पूर्व से निर्धारित है।

3/ राज्य शासन के विभागों में पदस्थ अधिकारियों को आवंटित EV (Electric Vehicle) को चार्ज करने हेतु प्रतिमाह विद्युत व्यय सीमा 135 kWh निर्धारित की जाती है। वाहनों को वाणिज्यिक स्थलों से Charging किये जाने पर निर्धारित सीमा के अध्यधीन देयक प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

4/ उपरोक्तानुसार राशि की प्रतिपूर्ति विभाग अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 22-009 में उपलब्ध बजट से की जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

C.E.(I.S.)	S.E. (A)
C.E.-(N.M.)	C.P.O.
C.E.(P)	E.E. (M)
S.E.(Major)	E.E. (B)
S.E.(W)	Sr.P.A.	S.A. (EDP)

Digitally signed by
Kamal Chandra Nagar
Date: 29-05-2026
17:56:55

(कमल नागर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

पृ. क्र. TRP/15/0008/2025-Sec-1-08(TRP)/1386 भोपाल, दिनांक 01.06.2026

आ.सं. (सत.)	व.प्र.अ. 411	स्था. 332	पंजी. 412	विधि कक्ष	सू.का. 3 211

11/2026 समस्त C.E, S.E, E.E

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के उप सचिव, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग